अध्याय -I : सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रूझान

1.2.1 वर्ष 2020–21 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1: राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	85,965.92	97,393.00	1,20,121.86	1,22,825.83	1,19,897.30
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**5.99**	**13.29**	**23.34**	**2.25**	**(-) 2.38**
	• करेतर राजस्व	28,944.07	19,794.86	30,100.71	81,705.08	11,846.15
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**25.11**	**(-) 31.60**	**52.06**	**171.44**	**(-) 85.50**
	योग	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**	**1,31,743.45**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	1,09,428.29	1,20,939.14	1,36,766.46	1,17,818.30	1,06,687.01[1]
	• सहायता अनुदान	32,536.87	40,648.45	42,988.48	44,043.97	57,745.87[2]
	योग	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**	**1,64,432.88**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**	**2,96,176.33**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**45**	**42**	**46**	**56**	**44**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2016–21 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 8.50 प्रतिशत एवं 26.30 प्रतिशत रही थी। राज्य सरकार द्वारा जुटाये गये राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 35.59 प्रतिशत की कमी रही थी। कोविड–19 महामारी ने वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2020–21 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में अ–कर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य लेखा–शीर्ष–0005–केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आकड़ों को राज्य द्वारा उगाये गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 9,323.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2020–21 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.1

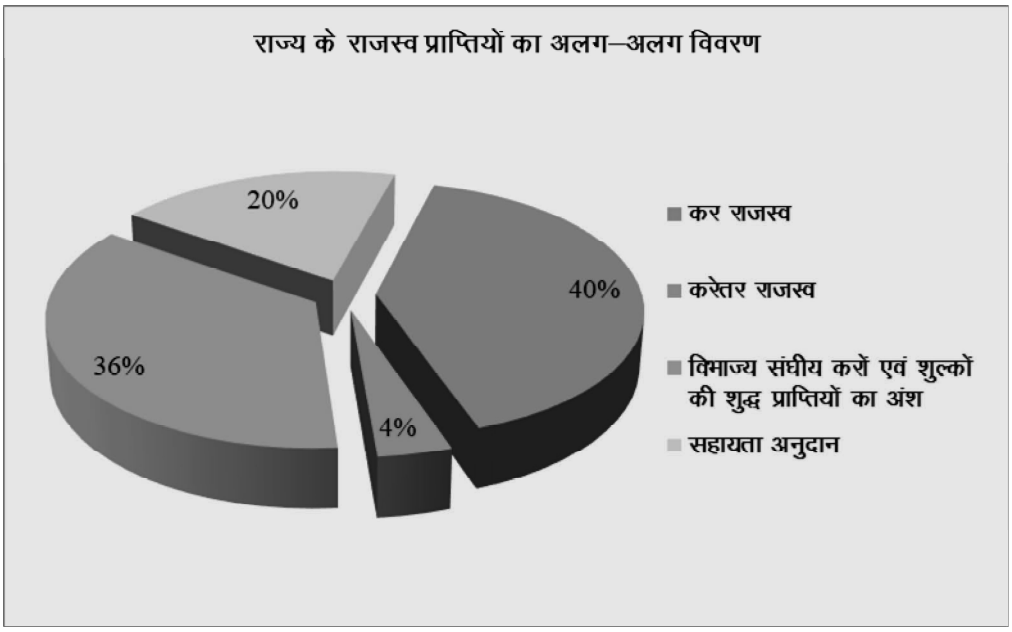

1.2.2 वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान कर राजस्व का विवरण **सारणी–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी–1.2: कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	की तुलना में वर्ष 2020-21 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2020-21 का ब0अ0	2019-20 का वास्तविक
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	28,287.00 22,127.06	(-) 21.78	(+) 7.85
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)		28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	63,281.00 42,860.03	(-) 32.27	(-) 9.26
2	राज्य आबकारी	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	37,500.00 30,061.21	(-) 19.84	(+) 10.01
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	23,197.00 16,475.24	(-) 28.98	(+) 2.52
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	8,650.00 6,482.65	(-) 25.05	(-) 15.97
5	अन्य[3]	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	5,106.00 1,891.11	(-) 62.96	(-) 52.33
योग		**1,01,256.50 85,965.92**	**1,11,501.90 97,393.00**	**1,22,700.00 1,20,121.86**	**1,40,176.00 1,22,825.83**	**1,66,021.00 1,19,897.30**	**(-) 27.78**	**(-) 2.38**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2002–21 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

[3] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

चार्ट–1.2

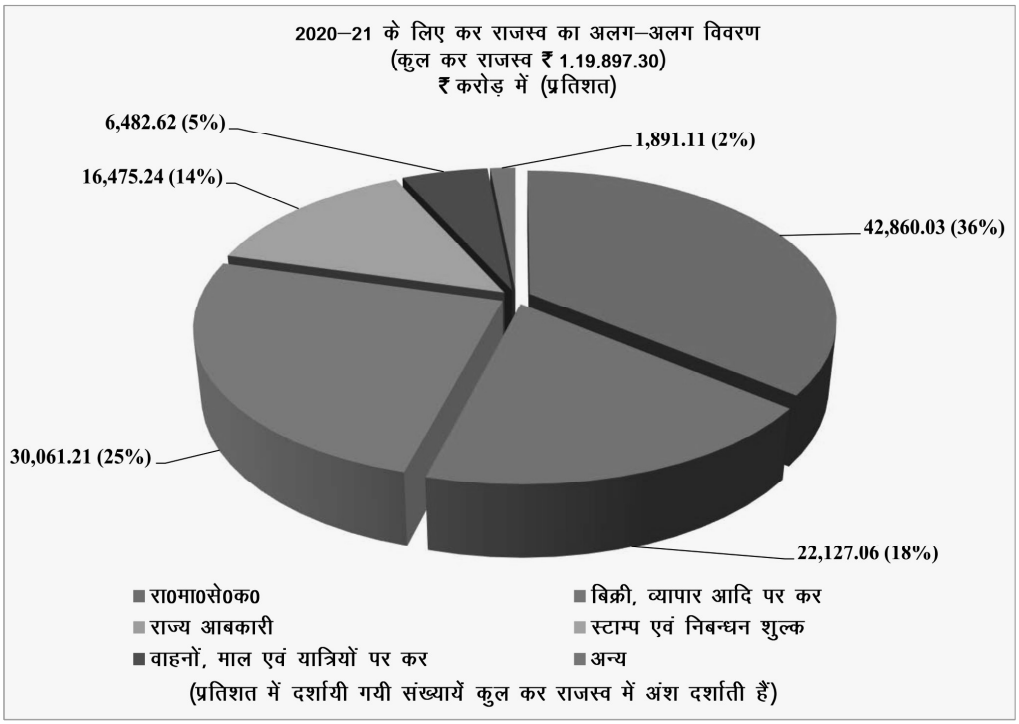

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2020–21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 2.38 प्रतिशत की कमी मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0) (₹ 4,372.38 करोड़ द्वारा), 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 1,232.23 करोड़ द्वारा) तथा करों के अन्य शीर्ष (₹ 2,075.74 करोड़ द्वारा) के कारण थी।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 1,609.93 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 42.71 करोड़ द्वारा) और मूल्य संवर्धित कर (₹ 1,303.56 करोड़ द्वारा) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि और राज्य बिक्री कर अधिनियम (₹ 264.78 करोड़ द्वारा) से कम वापसी के कारण था।

- वर्ष 2020–21 के दौरान रा0मा0से0क0 संग्रह में ₹ 4,372.38 करोड़ की कमी हुई। रा0मा0से0क0 संग्रह में कमी का मुख्य कारण रा0मा0से0क0 और ए0मा0से0क0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग (₹ 4,879.95 करोड़) एवं अन्य लघु शीर्ष में अंतरण की प्रतीक्षा में प्राप्तियों (₹ 4,504.63 करोड़) से कम प्राप्तियाँ एवं ए0मा0से0क0 का विभाजन (₹ 382.56 करोड़), ए0मा0से0क0 के अग्रिम विभाजन (₹ 3,507.94 करोड़) एवं कर के मद में (₹ 1,108.94 करोड़) प्राप्तियों में वृद्धि थी।

- राज्य आबकारी में वृद्धि देशी आसव (₹ 2,226.14 करोड़), विदेशी मदिरा तथा आसव (₹ 978.64 करोड़) की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण एवं अन्य प्राप्तियों के शीर्ष (₹ 188.50 करोड़) की प्राप्तियाँ एवं माल्ट मदिरा (₹ 656.48 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण थी।

- स्टाम्प एवं निबन्धन फीस के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेत्तर स्टाम्प की अधिक बिक्री (₹ 714.64 करोड़) एवं न्यायिक स्टाम्प (₹ 106.56 करोड़) में प्राप्त न्यायालय शुल्क में अधिक प्राप्तियों एवं न्यायिक स्टाम्प (₹ 472.22 करोड़) में कम बिक्री थी।

- 'वाहनों पर कर' की प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम (₹ 1,169.87 करोड़), भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (₹ 312.47 करोड़) के तहत कम प्राप्तियाँ एवं अन्य प्राप्तियों में अधिक (₹ 250.09 करोड़) प्राप्तियों के शुद्ध प्रभाव के कारण थी।
- 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी (वर्ष 2019–20 में ₹ 3,452.50 करोड़ से वर्ष 2020–21 में ₹ 1,586.70 करोड़) का कारण विद्युत की बिक्री एवं उपभोग (₹ 1,796.83 करोड) पर कर से कम प्राप्तियों एवं भारतीय विद्युत नियम के अन्तर्गत शुल्क (₹ 82.85 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण थी।

1.2.3 वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान वसूली गयी करेतर राजस्व के विवरण **सारणी–1.3** में दर्शायी गयी है।

सारणी–1.3: करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	की तुलना में वर्ष 2020–21 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2020–21 के ब0अ0	2019–20 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	12,758.33 13,677.57	14,051.00 72,043.54	12,585.00 571.84	(-) 95.46	(-) 99.21
2	ब्याज प्राप्तियाँ	750.00 1,164.94	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	2,100.00 1,115.55	(-) 46.88	(-) 24.08
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	4,000.00 3,112.74	(-) 22.18	(+) 42.78
4	विद्युत	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	3,537.00 1,308.99	(-) 62.99	(+) 25.37
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[4]	10,959.24 18,831.49	5,486.37 5,905.64	5,519.73 5,809.86	6,806.96 4,967.03	8,956.93 5,737.03	(-) 35.95	(+) 15.50
योग		**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**30,632.96** **81,705.08**	**31,178.93** **11,846.15**	**(-) 62.00**	**(-) 85.50**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

वर्ष 2020–21 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

[4] अन्य में निम्नलिखित में प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः आवास, लोक निर्माण, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास आदि।

चार्ट–1.3

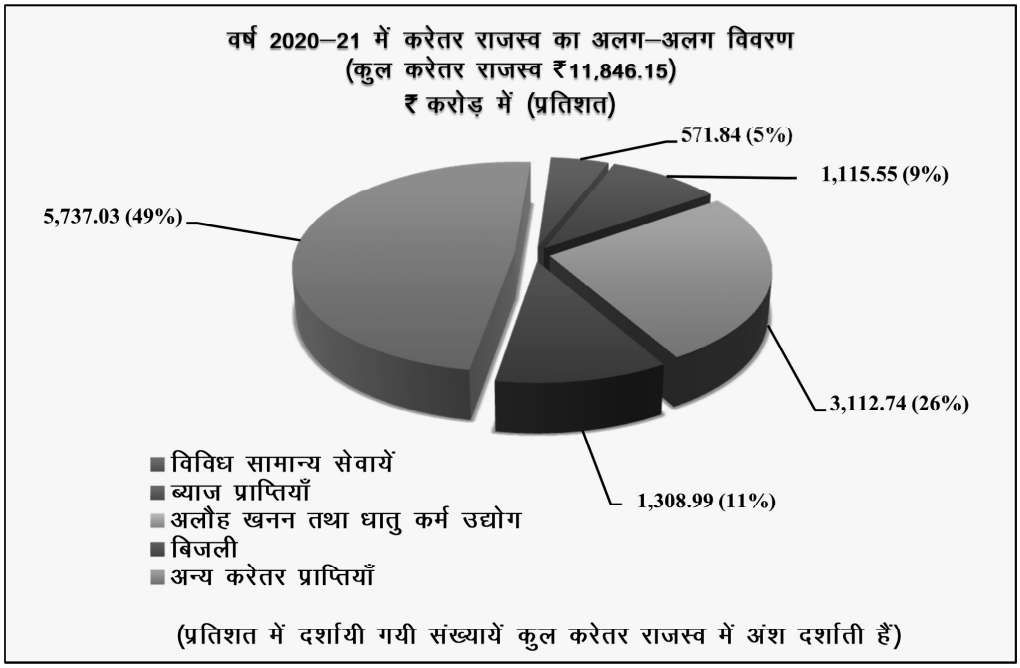

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर ₹ 69,858.93 करोड़ की कमी हुई 85.50 प्रतिशत, यह कमी मुख्यतः विविध सामान्य सेवायें (₹ 71,471.70 करोड़) शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान सिंकिंग फण्ड से अवशेष राशि का ऐसा कोई अन्तरण नहीं किया गया था जैसा कि वर्ष 2019–20 में ₹ 71,180.23 करोड़ का अंतरण किया गया था।
- वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में कमी नकद शेष निवेश खाते के अन्तर्गत (₹ 346.48 करोड़[5]) एवं सार्वजनिक अन्य उपक्रमों से ब्याज (₹ 24.30 करोड़[6]) के अर्न्तगत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग में वृद्धि खनिज रियायत शुल्क, किराये एवं रॉयल्टी में अधिक प्राप्तियों (₹ 900.28 करोड़) के कारण थी।
- राजस्व लेखा शीर्ष 'विद्युत' के अन्तर्गत 25.37 प्रतिशत की वृद्धि, ग्रामीण विद्युतीकरण में अधिक प्राप्तियों (₹ 263.68 करोड़) के कारण थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी 1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

[5] ₹ 596.15 करोड़ (2019–20) - ₹ 249.67 करोड़ (2020–21)।

[6] ₹ 109.51 करोड़ (2019–20) - ₹ 85.21 करोड़ (2020–21)।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपने बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सांराशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2020 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गयी थी। इसके अलावा, वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2019–20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (जून 2022) जिन्हें मार्च 2016 और दिसम्बर 2021 के मध्य राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारणी–1.4** में दिया गया है।

सारणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नही हुई
1	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
2	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
3	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
4	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	08	00
5	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
6	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	12	11
7	31 मार्च 2020	17 दिसम्बर 2021	18	00	18
योग			**138**	**20**	**118**[7]

वर्ष 2021–22 में, लो0ले0स0 द्वारा 25 प्रस्तरों[8] पर चर्चा की गई।

1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती है।

अक्टूबर 2021 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2022 के अन्त तक 13,190 नि0प्र0 से सम्बन्धित 48,800 प्रस्तर लम्बित थे। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग–वार विवरण **सारणी–1.5** में दिया गया है।

---

[7] वाणिज्यि कर (29 प्रस्तर), राज्य आबकारी (16 प्रस्तर), परिवहन (29 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (11 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (30 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (03 प्रस्तर)।

[8] स्टाम्प एवं निबन्धन (13 प्रस्तर), वाणिज्यि कर (2 प्रस्तर), परिवहन (7 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (3 प्रस्तर)।

सारणी–1.5: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्र0सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या
1	वाणिज्य कर	बिक्री व्यापार, आदि पर कर	6,151	26,749
		मनोरंजन कर	206	490
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,200	2,140
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,387	7,525
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,974	10,379
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	272	1,517
योग			**13,190**	**48,800**

यहाँ तक कि नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर समय से प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किये गये 115 नि0प्र0 में से, चार नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर प्राप्त हुआ। वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किये गये शेष 111 नि0प्र0 के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुये। नि0प्र0 की इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष–प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य जमीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र आरम्भ करना चाहिये कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें और सुधारात्मक कार्यवाही करें।

1.5 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के पाँच विभागों[9] को समाविष्ट किया तथा माल एवं सेवा कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियों, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 1,498 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 115 (7.68 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2020–21 के दौरान इन पाँच विभागों में ₹ 1,21,118.90 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया जिसमें से 115 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 24,563.75 करोड़ संग्रहीत किया। 115 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 18,351 मामलों (22,497 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल ₹ 1,683.30 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें नि0प्र0 द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था।

[9] वाणिज्यि कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन और भूतत्व एवं खनिकर्म।

सम्बन्धित विभागों ने 39 मामलों में (पिछले वर्षों में बताये गये मामले शामिल) ₹ 61.43 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2021 एवं जून 2022 के मध्य) और 16 मामलों में ₹ 43.43 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाये।

1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में **'माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट'**, **'वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण, 'बंधक विलेखों पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा** तथा वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 11 प्रस्तर शामिल हैं जिनमें ₹ 1,551.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने ₹ 40.34 करोड़ के और वाणिज्यिक कर विभाग ने माल एवं सेवा कर के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ₹ 37.27 करोड़ के एवं माल सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया पर ₹ 3.26 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया था। अन्य विभागों के उत्तर (जून 2022) प्राप्त नही हुये हैं। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से V में की गयी है।

इंगित की गयी त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित है। **इसलिये यह जाँच करने के लिये कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई है, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह की त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिये शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**